नगर निगम शिमला

सार्वजनिक सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम शिमला द्वारा शिमला शहर में निर्मित दुकानों/कैफे रिज/एल.ई.डी. स्क्रीनों/सामुदायिक केन्द्रों, के आबंटन/संचालन हेतू मोहर बन्द निविदाऐं दिनांक 03.12.2021 को 2.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। निविदाऐं उसी दिन सांय 3.00 बजे रोटरी टाऊन हॉल, माल रोड शिमला, में निविदा खोलने हेतू गठित समिति के समक्ष, इच्छुक निविदाकार या प्राधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में खोली जाऐगी।

जिन सम्पतियों की निविदाऐं आमंत्रित की गई है उनका विवरण निम्न प्रकार से हैं:-

Sr. No.	Particulars	Size	Period	Security Money	Reserve Price. P.M
1.	LED Screen The Ridge, Shimla	277 Sq. Ft.	3 years	Rs. 2,50,000/-	Rs. 70,000/- P.M
2.	LED Screen Opt. Rotary The Mall Shimla.	136 Sq Ft.	3 years	Rs. 2,00,000/-	Rs. 55,000/- P.M
3.	LED Screen, Sanjauli, Shimla	149 Sq. Ft	3 years	Rs. 2,00,000/-	Rs. 55,000/- P.M
4	Shop at Jiwanoo Colony Pantha Ghati. Shimla.	147 Sq.ft.	10 years	Rs. 25,000/-	Rs. 15,000/- P.M.
5	Shop No.1 at Pari Mehal Chowk Kasumpti, Shimla.	133.10 Sq.ft.	10 years.	Rs. 25,000/-	Rs. 15,000/-P.M.
6	Shop No. 2 at Pari Mehal Chowk Kasumpti, Shimla.	133.10 Sq.ft.	10 years/	Rs. 25,000/-	Rs. 15,000/-P.M.
7	Shop No. 6 Commercial Complex, Nabha (2nd floor) Shimla.	150.10 Sq.ft.	10 years.	Rs. 25,000/-	Rs. 5,000/-P.M.
8	Ship No.1, Inder Nagar Dhalli, Shimla.	76.32 Sq.ft.	10 Years.	Rs. 25,000/-	Rs. 6,000/-P.M.
9	Shop No.2, Inder Nagar, Dhalli, Shimla.	86.43 Sq.ft	10 Years.	Rs. 25,000/-	Rs. 7,000/-P.M.
10	Shop at Jiwanoo Colony, Pantha Ghatti, Shimla.	236 Sq.ft.	10 Years.	Rs. 25,000/-	Rs. 15,000/- P.M.
11	Café at Takka Bench, Ridge, Shimla.	487.64 Sq.ft.	10 Years	Rs. 2,00,000/-	Rs. 50,000/-P.M.
12	Community Centre at New Shimla..	2 Halls+lawn	3 Years.	Rs. 2,50,000/-	Rs. 5,00,000/-P.A.
13	Community centre at Krishna Nagar, Shimla.	2 Halls.	3 years	Rs. 1,50.000/-	Rs. 3,00,000/- P.A
14	Community centre at Summer Hill, Shimla.	2 Halls+ parking	3 years.	Rs. 3,00,000/-	Rs.6,00,000/- P.A.

शर्ते व निबन्धनः-

1. सशर्त व धरोहर राशि के बिना प्राप्त निविदायें रद्ध कर दी जाएगी और उन पर किसी प्रकार का विचार नहीं किया जाऐगा।

2. धरोहर राशि केवल बैंक ड्राफ्ट के रूप में ही स्वीकार की जाऐगी जो आयुक्त/अतिरिक्त आयुक्त, नगर निगम शिमला के पक्ष में शिमला में देय होगी।

3. सभी सफल निविदाकार को आबंटित की जाने वाली सम्पति की ठेका राशि की 25% राशि माल व सेवाकर अतिरिक्त, स्वीकृति पत्र की तिथि से 7 दिनों के भीतर जमा करना होगा तथा बकाया 75% राशि के 10 उतर दिनांकित (पोस्ट डेटिड) चैक माल व सेवाकर सहित प्रतिमाह के, कब्जा लेने से पूर्व सम्पदा शाखा में जमा करने होंगे। इसके अतिरिक्त सफल निविदाकार को किराया राशि अनुरूप, एक वर्ष की किराया राशि की बैंक गारन्टी, अतिरिक्त तौर पर निगम देनी होगी, अन्यथा सफल निविदा को, धरोहर राशि जब्त करते हुए रद्द कर दिया जायेगा व द्वतीय बोलीदाता को कब्जा सौपने बारे कार्यवाही की जायेगी।

4. प्रत्येक सफल निविदाकार की धरोहर राशि का प्रतिभूति राशि में परिवर्तित किया जाऐगा जिस पर कोई भी ब्याज देय नहीं होगा।

5. निविदाकार या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि का निविदा खोलने के समय उपस्थित होना अनिवार्य रहेगा।

6. विवाद की स्थिति में न्यायालय अधिकार क्षेत्र शिमला शहर होगा।

7. निविदा खोलने वाले दिन यदि अवकाश घोषित हो जाता है तो निविदायें अगले कार्य दिवस को निश्चित स्थान व समय पर प्राप्त की व खोली जाऐगी।

8. निविदाओं की राशि निगम द्वारा निर्धारित टैण्टर फार्म में साफ अंकों में लिखनी होगी, जिस पर किसी भी प्रकार की कटिंग अथवा ओवर राईटिंग मान्य नहीं होगी तथा लिफाफे पर निविदा का नाम लिखना होगा। जैसे निविदा निगम की दुकान/कैफे/एल.ई.डी. स्क्रीन/सामुदायिक केन्द्र .... हेतू। अधूरी निविदा मान्य नहीं होगी। टैण्डर फार्म निगम की वैबसाईट व सम्पदा शाखा नगर निगम शिमला के कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है।

9. निविदायें अतिरिक्त आयुक्त, नगर निगम शिमला के कार्यालय कक्ष में रखे निविदा बॉक्स में डालनी होगी। समय सीमा के तुरन्त पश्चात निविदा बॉक्स बन्द कर दिया जाऐगा ताकि कोई निविदा समय अवधि के पश्चात न डाली जा सकें। व्यक्तिगत तौर पर कोई भी निविदा स्वीकार नहीं की जाऐगी। केवल निविदा बॉक्स में डाली गई निविदा की स्वीकार्य होगी।

10. यदि निविदा डाक द्वारा भेजी जाती है तो यह निगम के कार्यालय में निविदा की तिथि के एक दिन पूर्व सांय 5.00 बजे तक प्राप्त हो जानी चाहिए अन्यथा देर से प्राप्त निविदाऐं मान्य नहीं होगी।

11. केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, नगर निगम शिमला या अन्य द्वारा लगाया गया कोई भी कर/माल एवं सेवाकर निविदाकार को अदा करना होगा और यह दरों में सम्मिलित करके मान्य होगा।

12. यदि कोई निविदाकार नगर निगम की किसी सम्पति/दुकान/स्टाल/पार्किंग, कैन्टीन आदि का देनदार पाया गया तो उसकी निविदा रद्द कर दी जाएगी और बाद में पता लगने पर भी निविदा स्वतः रद्द समझी जाएगी।

13. उच्चतम निविदाकार को निविदा स्वीकृत होने पर नगर निगम के साथ निगम द्वारा तय शर्तो के अनुसार इकरारनामा/पट्टाविलेख निर्धारित अवधि के अन्दर-2 निष्पादित करना होगा अन्यथा निविदाकार द्वारा जमा की गई धरोहर राशि को जब्त कर लिया जाएगा तथा उस द्वारा दी गई उच्चतम निविदा रद्द समझी जाएगी।

14. जिन निविदाकारों के पास वर्तमान में पार्किंग, दुकान, कैन्टीन व होर्डिगों का ठेका है, यदि वह निविदा देना चाहतें हैं तो उन्हें नगर निगम शिमला की सम्पदा शाखा से अदेय प्रमाण पत्र प्राप्त कर निविदा के साथ संलग्न करना होगा अन्यथा निविदा मान्य नहीं होगी।

15. निविदाओं के नियमों व शर्तो पर यदि किसी निविदाकार को कोई आपत्ति हो तो वह सम्बन्धित निविदाओं के खोलने से पहले अपनी आपत्तियॉ दायर कर सकता है। उसके उपरान्त किसी भी प्रकार की आपत्ति मान्य नहीं होगी।

16. उपरोक्त वर्णित शर्तो के अतिरिक्त यदि कोई निविदाकार निविदाओं के बारे में और अधिक जानकारी चाहता हो तो निविदाऐं भरने से पूर्व किसी भी कार्य दिवस को व्यक्तिगत तौर पर अधीक्षक सम्पदा, नगर निगम शिमला से सम्पर्क कर सकते है।

17. आयुक्त, नगर निगम शिमला को बिना कोई कारण बताये किसी या सभी निविदाओं को स्थगित/रद्द/संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

18. सफल निविदाकार को सरकार एवं निगम द्वारा समय-समय पर जारी समस्त दिशा-निर्देश मान्य होंगें।

19. आयुक्त, नगर निगम या उसके प्राधिकृत/कर्मचारी को पट्टे/निविदा पर आबंटित सम्पति/सम्पतियों का किसी भी समय निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

20. अनुबन्धनामा की शर्तो की उल्लंघना करने पर अनुबन्ध रद्द समझा जायेगा और धरोहर राशि/प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जाएगी।

21. अनुबन्ध अवधि की समाप्ति पर यदि कोई नुक्सान पाया जाता है तो उस स्थिति में प्रतिभूति राशि से नुकसान पाये जाने की राशि को. काटकर बाकी की राशि बिना ब्याज के वापिस कर दी जाएगी तथा ठेका पूरा होने पर निविदाकार को सम्पति का कब्जा शान्तिपूर्ण नगर निगम को सौंपना होगा तथा ठेका अवधी समाप्त होने पर सम्पतियो का दिया गया कब्जा समाप्त माना जायेगा।

22. निगम की उपरोक्त सम्पतियॉं वर्तमान में जिस स्थिति में है उसी स्थिति/सुविधाओं के साथ आंबटित की जाएगी तथा बिजली, पानी के बिलों का भुगतान व लाईसेंस इत्यादि की औपचारिकताऐं उच्चतम निविदाकार को स्वयं अपने स्तर पर प्राप्त करनी होगी।

23. सफल निविदाकार को बिजली का मीटर लगाने हेतू अनापति प्रमाण पत्र निगम की सम्पदा शाखा से स्वंय प्राप्त करना होगा। इस हेतू व्यय की जाने वाली राशि व बिलों का भुगतान उच्चतम निविदाकार को स्वयं करना होगा।

24. सूची में दर्शाई निगम की किसी भी सम्पति में यदि बिजली, पानी की कोई राशि देय होगी तो उसका भुगतान सफल निविदाकार को स्वयं करना होगा।

25. सामुदायिक केन्द्र के सफल निविदाकार को निगम सदन द्वारा निर्धारित दरों के अनुरूप ही सामुदायिक केन्द्र के बुकिंग चार्जिज लेने होंगें तथा इससे अधिक चार्जिज लिए जाने बारे शिकायत प्राप्त होने पर धरोहर राशि को जब्त कर निविदा को रद्ध करने बारे कार्यवाही अमल में लाई जाऐगी।

26. सफल निविदाकार को सामुदायिक केन्द्र के रख-रखाव/मुरम्मत व साफ सफाई की व्यवस्था स्वंय करनी होगी।

27. सफल निविदाकार द्वारा प्रस्तुत किए गऐ चैक यदि बैंक द्वारा किसी भी रूप से dishonor कर वापिस किए जाते है तो निविदाकार द्वारा जमा धरोहर राशि को जब्त कर लिया जाऐगा और आबंटन को रद्ध करने बारे कार्यवाही अमल में लाई जाऐगी।

28. उपरोक्त विषय में अतिरिक्त जानकारी/पूछताछ के लिए अधीक्षक सम्पदा से निजी तौर पर या दुरभाष न0-0177-2802779 पर संपर्क करें। निगम की वेवसाईट www.shimlamc.org है।

आयुक्त,
नगर निगम शिमला।